उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

संख्याः पीआरपीबी–पीआरपीबी–चार–1–3–(लि0सं0)/2023 दिनांकः अक्टूबर, 24 2025

उ0प्र0 पुलिस में पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती–2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन

लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन

एवं

ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक भरने के निर्देश

उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती–2023 हेतु समसंख्यक सूचना/विज्ञप्ति दिनांक 28.12.2023 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाये गये हैं, उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा (OMR Based) में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

1– पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों की लिखित परीक्षा दिनांक 02.11.2025 को 01 पाली में आयोजित की जायेगी।

2– पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी व परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर **(ओ0एम0आर0)** आधारित होगा। परीक्षा 2:30 घण्टों (150मिनट) की होगी। इस परीक्षा में कुल 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न **2 (दो)** अंकों का होगा। परीक्षा कुल 400 अंकों का होगा। ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है।

3– अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखेंगे कि **प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक क्रमांक समान हों।** अगर ऐसा नहीं है तो तुरन्त कक्ष अन्तरीक्षक को सूचित करें और अपनी प्रश्न पुस्तिका और ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक बदलवायें।

4– ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला/नीला बॉल प्वाइंट पेन इस्तेमाल करें।

5– अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर परीक्षा केन्द्र कोड, अनुक्रमांक तथा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आदि प्रविष्टियों को काले/नीले बॉल प्वाइंट पेन से भरना अनिवार्य है। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के भाग–ए में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को न भरने अथवा गलत भरने की हालत में ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर निर्दिष्ट किये गये

स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र कुछ न लिखें या अंकित न करें अन्यथा ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक अमान्य कर दिया जायेगा।

6— अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर एडमिट कार्ड में अंकित परीक्षा केन्द्र कोड **(5 अंकों का)** एवं अनुक्रमांक **(10 अंकों का)** ही भरे जायेंगे।

7— अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में परीक्षा केन्द्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने/अंकित करने के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। कृपया इन सूचनाओं को अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरें।

उदाहरण/Example

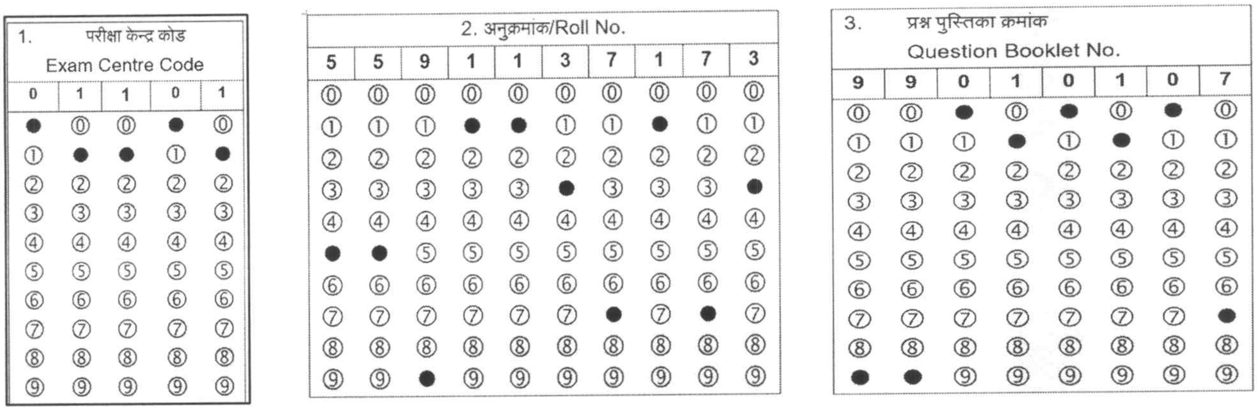

8— प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए चार विकल्पों में से चयनित उत्तर के लिए ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर केवल एक गोले को ही पूरी तरह नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से भरें। यदि किसी प्रश्न में एक विकल्प गोले को भरने के साथ—साथ अन्य विकल्प गोले पर किसी प्रकार की मार्किंग/रेखा/धब्बा बना पाया जाता है तो उस प्रश्न का विकल्प गलत उत्तर के रूप में पढ़ा जायेगा। उत्तर बदलने हेतु व्हाइटनर/रबड़/ब्लेड का प्रयोग वर्जित है। एक बार उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे बदला नही जा सकता है। नीचे दिए गये उदाहरण में केवल पहले बाक्स में दी गयी विधि सही है शेष चारों बाक्स उत्तर देने की गलत विधियों को दर्शाते हैं।

उदाहरण/ Example

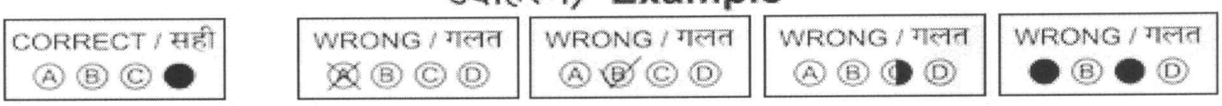

9— परीक्षा के उपरान्त अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक ज्यों का त्यों कक्ष अन्तरीक्षक को सौंप दें। कक्ष अन्तरीक्षक द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की प्रतियों को फाड़ कर अलग कर अभ्यर्थी को अभ्यर्थी प्रति सौंपी जायेगी, अभ्यर्थी को केवल अभ्यर्थी की प्रति लेकर परीक्षा हाल से बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी।

10— प्रश्न पत्र में हिन्दी के अतिरिक्त सभी प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

11— बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्या—पीआरपीबी—चार—1—3—(लि0सं0)/2023, दिनांक 28.12.2023 के द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है। पाठ्यक्रम संकेतात्मक प्रकृति का है और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियॉ नहीं की जा सकेंगी।

12– यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनायें इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

अपर सचिव, भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।